इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक- 05.09.2023

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते जातिसूचक शब्दो का प्रयोग कर गाली गलौज व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले वाले 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 2,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना बिठौली व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते जातिसूचक शब्दो का प्रयोग कर गाली गलौज व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले वाले करने वाले 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 2,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16.05.2017 वादी फूल सिंह पुत्र उमराय सिंह निवासी ग्राम बिडौरी थाना बिठौली जनपद इटावा द्वारा वादी व उसके पुत्र को जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुये वादी के पुत्र को गाली गलौज, लाठी डंडो से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीरी सूचना दी गयी सूचना पर तत्काल थाना बिठौली पर मु0अ0सं0 13/17 धारा 323/34,/504/506 भादवि व धारा 3(1)(10)आरएस एससी/एसटी(पी0ए0) एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी क्षेत्राधिकारी श्री अरुण कुमार शर्मा द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर **अभियुक्तों** के विरूद्ध आरोप पत्र **धारा 323/504/506 भादवि व धारा 3(1)(10) आरएस एससी/ एसटी (पी0ए0) एक्ट** में मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बिठौली पुलिस टीम,पैरोकार का0 सुखराशि पटेल एवं मानीटरिंग सैल व विशेष शासकीय अधिवक्ता श्री रमाकान्त चतुर्वेदी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को आज दिनांक 05.09.2023 को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(पी0 ए0) एक्ट इटावा श्री कुमार प्रशांत द्वारा 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 2,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **सुभाष दीक्षित पुत्र रामअवतार निवासी ग्राम बिडौरी थाना बिठौली उम्र 26 वर्ष जनपद इटावा।**
2. **पंकज पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम बिडौरी थाना बिठौली उम्र 32 वर्ष जनपद इटावा।**
3. **राजेश कुमार पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम बिडौरी थाना बिठौली उम्र 42 वर्ष जनपद इटावा।**